<u>अत्यावश्यक</u>

मध्यप्रदेश शासन
राजस्व विभाग, मंत्रालय

क्रमांक नि.स./प्र.स.रा./2014/2254 भोपाल, दिनांक 28 नवम्बर 2014

प्रति

समस्त कलेक्टर
मध्यप्रदेश।

विषय : **स्थानान्तरण आदेशों के विरूद्ध माननीय उच्च न्यायालय से स्थगन प्राप्त प्रकरणों में कार्यवाही बावत ।**

संदर्भ : इस कार्यालय का पत्र क्रमांक नि.स./प्र.स.रा./2014/2244 दिनांक 24 नवम्बर 2014

कृपया, इस कार्यालय के संदर्भित पत्र का अवलोकन करें जिसके द्वारा ऐसे तहसीलदार जिन्होंने स्थानान्तरण आदेश के विरूद्ध माननीय उच्च न्यायालय से स्थगन प्राप्त कर लिया है की जानकारी तत्काल इस कार्यालय को उपलब्ध कराये जाने के संबंध में निर्देशित किया गया था।

2. तत्संबंध में निर्देशित किया जाता है कि आपके जिले में पदस्थ ऐसे तहसीलदार जिन्होंने स्थानान्तरण आदेश के विरूद्ध माननीय उच्च न्यायालय से स्थगन प्राप्त कर लिया है से प्राप्त अभ्यावेदन निराकरण हेतु इस कार्यालय को उपलब्ध करायें तथा जिन्होंने अभी तक अभ्यावेदन प्रस्तुत नहीं किए है उनसे अभ्यावेदन प्राप्त कर, उपलब्ध करायें ताकि अभ्यावेदनों का समय–सीमा में निराकरण किया जा सके।

(अरूण तिवारी)
प्रमुख सचिव
म.प्र.शासन, राजस्व विभाग

पृ.क्रमांक नि.स./प्र.स.रा./2014/2255 भोपाल, दिनांक नवम्बर 2014

प्रतिलिपि –

1. प्रमुख राजस्व आयुक्त, मध्यप्रदेश, भोपाल।
2. समस्त संभागायुक्त, मध्यप्रदेश
   की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

प्रमुख सचिव
म.प्र.शासन, राजस्व विभाग